

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-24/2020/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक २५/01/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 4.746 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-816/1674, दिनांक 14.09.2020 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-816/2241, दिनांक 09.12.2020।

---00---

विषयांकित प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्र. 17 के तहत प्रदाय की जाने वाली जानकारी तथा संदर्भित पत्र दिनांक 14.09.2020 के बिंदु क्र. 17 में प्रदायित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	चेक लिस्ट के बिंदु क्र. 17 में वांछित जानकारी	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के संदर्भित पत्र दिनांक 14.09.2020 के बिंदु क्र. 17 में प्रदायित जानकारी
1	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी।	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है तदाशय का वनमंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

2/- यहां यह उल्लेखनीय है कि, उपरोक्त तालिका में संदर्भित पत्र दिनांक 14.09.2020 के बिंदु क्र. 17 में प्रदायित जानकारी अनुसार प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 76 में वनमंडलाधिकारी तथा आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए था, किंतु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 76 में उक्तानुसार संयुक्त प्रमाण पत्र संधारित नहीं है अपितु केवल वनमंडलाधिकारी कोरिया द्वारा प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 7 मार्गों को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 10 कि.मी. परिधि में दर्शाया गया है।

3/- उपरोक्त स्थिति में क्या विषयांकित गैर वानिकी कार्य की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दी जा सकती है ? कृपया विस्तृत विवरण सहित स्थिति स्पष्ट करें।


(अभिषेक कुमार सिंह)

उप सचिव

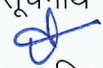
छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, दिनांक २५/01/2021

पृष्ठांक.क्रमांक एफ-5-24/2020/10-2
प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

०६८